

कार्यालय जापन

विषय :- हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन व हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना-वर्ष 2025

राजभाषा हिंदी को बढ़ावा देने के उद्देश्य से मौलिक रूप से राजभाषा हिंदी में पुस्तक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए राजभाषा विभाग द्वारा जारी संकल्प संख्या 11034/01/2023-राजभाषा(नीति) दिनांक 22/03/2026 के अनुसरण में "राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना" के अंतर्गत निम्नलिखित श्रेणियों व विषयों पर (01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्रकाशित) पुस्तकें आमंत्रित की जाती हैं। केवल 'अनुवाद' की श्रेणी हेतु विगत दो वर्ष (01.01.2024 से 31.12.2025 के दौरान) की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें प्रविष्टि हेतु आमंत्रित हैं।

- इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
- विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
- संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार ।
- 'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन (उपरोक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)
- अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार - कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित (अंग्रेजी व अन्य भारतीय भाषाओं से) पुस्तकों के लिए।

2. पुरस्कार

क्र.सं.	पुरस्कार योजना का नाम	कुल पुरस्कारों की संख्या	देय राशि प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
1.	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 2,00,000/- (दो लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,25,000/- (एक लाख पच्चीस हजार रूपए), प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		तृतीय पुरस्कार (एक)	₹ 75,000/- (पचहत्तर हजार रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 03)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रूपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
2.	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रूपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

	राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
3.	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
4.	'ग' भाषा क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपरोक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
5.	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार-कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।	प्रथम पुरस्कार (एक)	₹ 1,50,000/- (एक लाख पचास हजार रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		द्वितीय पुरस्कार (एक)	₹ 1,00,000/- (एक लाख रुपए) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न
		प्रोत्साहन पुरस्कार (कुल 02)	₹ 40,000/- (चालीस हजार रुपए प्रति पुरस्कार) प्रमाण पत्र तथा स्मृति चिह्न

3. पात्रता :

- भारत का कोई भी नागरिक इस पुरस्कार योजना में भाग ले सकता है।
- पुस्तक उपर्युक्त तालिका में उल्लिखित विषय पर लिखी अथवा अनूदित होनी चाहिए।

4. उपर्युक्त सभी श्रेणियों के लिए सामान्य शर्तें:

- पुस्तक के एक से अधिक लेखक/अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह-अनुवादक द्वारा अलग-अलग प्रोफार्मा भरा जाए।
- योजना के अंतर्गत पुरस्कार के लिए वे पुस्तकें ही स्वीकार्य हैं जो लेखक/अनुवादक की मौलिक कृति/अनुवाद हों। लेखक पुस्तक के विषय के अनुसार प्रोफार्म में उचित विषय का चयन करते हुए ही अपनी प्रविष्टियाँ भेजें।
- किसी भी सरकारी संगठन द्वारा पूर्व में पुरस्कृत पुस्तकें पात्र नहीं होंगी। उपर्युक्त योजनाओं के अंतर्गत पुरस्कारों की घोषणा से पहले यदि पुस्तक को अन्य किसी पुरस्कार योजना के अंतर्गत पुरस्कृत किया जाता है तो इसकी सूचना लेखक द्वारा तत्काल राजभाषा विभाग को दी जाए।
- योजना के अंतर्गत 01.01.2025 से 31.12.2025 के दौरान प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य हैं।

- v) पुस्तक विषय के बारे में समीक्षात्मक विश्लेषणयुक्त होनी चाहिए। पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक अथवा पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तक इस पुरस्कार योजना हेतु पात्र नहीं होगी।
- vi) 'ग' क्षेत्र के लेखक से संबंधित शर्तें:-
 (क) लेखक की मातृभाषा हिंदी न हो।
 (ख) लेखक ने अपनी स्कूली शिक्षा सम्बंधित 'ग' क्षेत्र के राज्य से पूर्ण की हो (प्रमाण के रूप में 10 वीं व 12 वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति अपेक्षित है)। ('ग' क्षेत्र - पूर्वोत्तर के सभी 8 राज्य, केरल, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक, गोवा, जम्मू व कश्मीर, ओडिशा, लक्षद्वीप, पांडिचेरी व पश्चिम बंगाल)
- vii) अनुवाद की श्रेणी से संबंधित शर्तें :
 (क) इसके अंतर्गत संस्कृति, कला, धरोहर जैसे विषयों पर राष्ट्रीय/अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पुरस्कृत पुस्तकों, क्लासिक कृतियों एवं प्रसिद्ध लेखकों, विद्वानों व हस्तियों की कृतियों का हिंदी अनुवाद शामिल है।
 (ख) इस श्रेणी में विभागीय मैनुअल, पी.एच.डी. के लिए लिखे गए शोध, कविता, उपन्यास, कहानी, नाटक जीवनी, रेखाचित्र, रिपोर्टाज, यात्रा वृत्तान्त, संस्मरण आदि के रूप में लिखी गई या पाठ्य पुस्तक के रूप में लिखी गई पुस्तकों की अनूदित कृति पात्र नहीं होगी।
 (ग) इस श्रेणी के तहत लेखक से अनूदित पुस्तक के साथ-साथ उसकी मूल भाषा की पुस्तक की चार प्रतियाँ प्रेषित करना अनिवार्य होगा।
 (घ) इस श्रेणी हेतु प्रारम्भ में विगत दो वर्ष की प्रकाशित/अनूदित पुस्तकें (01.01.2024 से 31.12.2025) प्रविष्टि हेतु आमंत्रित हैं। तत्पश्चात वर्ष 2027 से एक वर्ष पहले अर्थात् संबंधित कैलेंडर वर्ष की 1 जनवरी से 31 दिसंबर के दौरान अनूदित व प्रकाशित पुस्तकें स्वीकार्य होंगी।
- viii) लेखक/सह-लेखक अथवा अनुवादक/सह-अनुवादक पुस्तक में दिए गए आँकड़ों, तथ्यों आदि के लिए स्वयं उत्तरदायी होंगे एवं उनके प्रमाण में जहाँ तक संभव हो, संदर्भ देंगे।
- ix) यदि किसी व्यक्ति को राजभाषा विभाग की किसी भी मौलिक पुस्तक लेखन पुरस्कार योजना के अंतर्गत पिछले तीन वर्षों में कोई पुरस्कार मिल चुका हो तो उसकी प्रविष्टि विचारणीय नहीं होगी। तथापि, सहलेखक (यदि कोई हो) योजना में भाग ले सकता है। सहलेखक को पुरस्कार में आनुपातिक राशि ही प्रदान की जायेगी।
- x) पुस्तक कम से कम 100 पृष्ठों की हो।
- xi) यदि मूल्यांकन समिति इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि प्रविष्टियों में से कोई भी पुस्तक किसी भी पुरस्कार के योग्य नहीं है तो इस संबंध में उसका निर्णय अंतिम माना जाएगा।
- xii) यदि पुरस्कार के लिए चुनी गई पुस्तक के लेखक/अनुवादक एक से अधिक होंगे, तो पुरस्कार की राशि उनमें बराबर-बराबर बांट दी जाएगी।
- xiii) केवल वे पुस्तकें जिन पर ISBN होगा, योजना के अंतर्गत शामिल की जाएंगी।

5. प्रविष्टि भेजने की विधि :

- प्रविष्टि अनुलग्नक में दिए गए प्रपत्र के साथ भेजी जाए अन्यथा उसे स्वीकार नहीं किया जाएगा।
- प्रत्येक प्रविष्टि के साथ पुस्तक की चार प्रतियां भेजें। प्रतियाँ वापिस नहीं की जाएंगी।
- एक लेखक/अनुवादक एक योजना में केवल एक ही प्रविष्टि भेज सकता है।
- प्रविष्टियां 31 मई, 2026 तक राजभाषा विभाग में पहुँच जानी चाहिए।

6. पुस्तकों की मूल्यांकन प्रक्रिया:

पुस्तकों का मूल्यांकन राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित मानदंडों के आधार पर लब्ध-प्रतिष्ठित विद्वानों/विशेषज्ञों की समिति द्वारा किया जाएगा।

7. पुरस्कार के बारे में घोषणा और पुरस्कार वितरण:


- पुरस्कार के बारे में निर्णय की सूचना सभी पुरस्कार विजेताओं को पत्र द्वारा भेजी जाएगी तथा विभाग की वेबसाइट पर भी रखी जाएगी।
- पुरस्कार वितरण राजभाषा विभाग द्वारा निर्धारित तिथि को किया जाएगा।

8. सामान्य सूचना:

- i) पुरस्कार प्रदान किए जाने अथवा पुरस्कार के लिए पुस्तक चयन की प्रक्रिया के बारे में कोई पत्र-व्यवहार नहीं किया जाएगा।
- ii) पुरस्कार प्राप्त करने के लिए नियत स्थान से बाहर से आए हुए पुरस्कार विजेताओं को आने-जाने के लिए रेल का द्वितीय श्रेणी वातानुकूलित अथवा वायुयान (इकोनोमी श्रेणी) का किराया तथा भारत सरकार के नियमों के अनुसार दैनिक भत्ता दिया जाएगा। ठहरने की व्यवस्था उन्हें स्वयं के खर्च पर करनी होगी।
- iii) योजना के बारे में सूचना विभाग की वेबसाइट <https://rajbhasha.gov.in> पर भी उपलब्ध है।

9. प्रविष्टि भेजने का पता:

अनुसंधान अधिकारी(का.)
कार्यान्वयन-2 अनुभाग, कमरा सं. 18
राजभाषा विभाग, गृह मंत्रालय,
'बी' विंग, चतुर्थ तल, एन.डी.सी.सी.-2 भवन,
जय सिंह रोड, नई दिल्ली-110001,
फोन- 011-23438143, 011-23438129


(ल. कर्नल राम नरेश शर्मा)
निदेशक, राजभाषा विभाग(का.2)
दूरभाष 011-23438129

प्रति:-

1. निदेशक, जन-संपर्क (गृह मंत्रालय), पत्र सूचना कार्यालय, नई दिल्ली को इस अनुरोध के साथ कि वे इस योजना के संबंध में प्रेस तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में समुचित सूचना परिचालित करें।
2. विश्वविद्यालय अनुदान आयोग, बहादुरशाह जफर मार्ग, नई दिल्ली ।
3. निदेशक, केन्द्रीय अनुवाद ब्यूरो/केन्द्रीय हिंदी प्रशिक्षण संस्थान, राजभाषा विभाग, अंत्योदय भवन, सी.जी.ओ. कॉम्प्लेक्स, लोधी रोड, नई दिल्ली- अनुरोध है कि इस कार्यालय जापान को सम्स्त क्षेत्रीय उप निदेशकों (हिंदी शिक्षण योजना) के ध्यान में ला दें।
4. संसदीय राजभाषा समिति, 11, तीन मूर्ति मार्ग, नई दिल्ली।
5. राजभाषा विभाग के तकनीकी कक्ष को इस अनुरोध के साथ कि वे उक्त का. जा. को विभाग की वेबसाइट पर उपलब्ध करा दें।
6. राजभाषा विभाग के सभी क्षेत्रीय कार्यान्वयन कार्यालय - अनुरोध है कि इस कार्यालय जापान को अपने क्षेत्र में स्थित केन्द्रीय सरकार के सभी कार्यालयों, उपक्रमों, बैंकों, वित्तीय संस्थाओं तथा केन्द्रीय सरकार के स्वामित्व में आने वाले विश्वविद्यालयों, शैक्षिक एवं प्रशिक्षण संस्थानों व नगर राजभाषा कार्यान्वयन समितियों के ध्यान में ला दें ।



(संतोष कुमार)
अनुसंधान अधिकारी(का.2)
दूरभाष 011-23438143

“भारत के नागरिकों के लिए हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना”

प्रपत्र

कृपया संबंधित पुरस्कार योजना, जिसके लिए आवेदन किया जा रहा है, को चिह्नित करें।

(क)	इंजीनियरी, इलेक्ट्रॉनिक्स, कंप्यूटर विज्ञान, भौतिकी, जीव विज्ञान, ऊर्जा, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्विज्ञान, रसायन विज्ञान, सूचना प्रौद्योगिकी, प्रबंधन, मनोविज्ञान तथा समसामयिक विषय जैसे उदारीकरण, भूमंडलीकरण, उपभोक्तावाद, मानवाधिकार, प्रदूषण, पर्यावरण विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ख)	विधि और पुलिस अनुसंधान, न्यायालयिक विज्ञान, अपराधशास्त्र और पुलिस प्रशासन आदि विषयों पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(ग)	संस्कृति, धर्म, कला, धरोहर आदि पर हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार।
(घ)	‘ग’ क्षेत्र के लेखक द्वारा हिंदी में मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार (उपर्युक्त सभी श्रेणियों के विषयों पर)।
(ङ)	हिंदी में अनूदित पुस्तकों हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार – कालजयी साहित्य (क्लासिक्स) तथा संस्कृति, कला, धरोहर संबंधी विषयों से संबंधित अनूदित पुस्तकों के लिए।

- पुरस्कार योजना का वर्ष
- पुस्तक का नाम
- (i) लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-अनुवादक का नाम
.....
(ii) पूरा पता (पिन कोड सहित) :
.....
(iii) दूरभाष:
- (iv) मोबाइल संख्या ईमेल
- (i) प्रकाशक का नाम.....
(ii) प्रकाशक का पूरा पता.
(iii) प्रकाशन का वर्ष.....
- क्या मौलिक पुस्तक/अनूदित पुस्तक को पूर्व में किसी सरकारी संगठन से पुरस्कार प्राप्त हुआ है?
हाँ/नहीं
यदि हाँ, तो कृपया पूरा ब्यौरा
देें.....
.....
.....
- लेखक की मातृभाषा (‘ग’ क्षेत्र के लेखकों के लिए)
- क्या 10वीं व 12वीं कक्षा के प्रमाण पत्र की प्रति संलग्न की गई है ? हाँ/नहीं (‘ग’ क्षेत्र के लेखकों के लिए)
- मैं यह प्रमाणित करता/करती हूँ कि-

(i) मैंपुत्र/पुत्री श्री भारतीय नागरिक हूँ।

(ii) मैंने पुस्तक मूल रूप से हिंदी में लिखी/अनूदित की है।

(iii) मेरी पुस्तक को इस योजना के अंतर्गत प्रविष्ट करने से किसी अन्य व्यक्ति के कॉपीराइट का उल्लंघन नहीं होता है। पुस्तक में दिए गए आँकड़ों एवं तथ्यों के लिए मैं स्वयं उत्तरदायी हूँ।

9. मैं वचन देता हूँ/देती हूँ कि मैं उपर्युक्त मौलिक पुस्तक लेखन हेतु राजभाषा गौरव पुरस्कार योजना के उपबंधों का पालन करूँगा/करूँगी।

स्थान.....

दिनांक

लेखक/सह-लेखक/अनुवादक/सह-
अनुवादक
के हस्ताक्षर

नोट 1. जो लागू न हो, उसे काट दें।

नोट 2. पुस्तक के एक से अधिक लेखक/ अनुवादक होने की स्थिति में प्रत्येक सह-लेखक/सह- अनुवादक द्वारा उपर्युक्त प्रपत्र अलग-अलग भरा जाए।
